

**मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को आयोजित उन्नीसवीं बैठक का कार्यवृत्त।**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.) की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस०एल०एस०सी०) की 19वीं बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन के साथ-साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ० आशीष कुमार भूटानी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि एवं सम्बन्धीय क्षेत्र के विभागों/संस्थाओं यथा कृषि, पशुपालन, उद्यान, डेयरी, सिंचाई, लघु सिंचाई, मत्स्य, सहकारिता, रेशम, कृषि विविधीकरण परियोजना, उपकार एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय आदि के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्ष/ प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

प्रमुख सचिव, कृषि द्वारा समस्त अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि :-

- वर्ष 2015-16 में केन्द्र स्तर से 50 : 50 के फंडिंग पैटर्न पर आर०के०वी०वाई०-सामान्य एवं उपयोजनाओं यथा-बी०जी०आर०ई०आई० एवं काप डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम हेतु कमशः रु० 347.94 करोड़ तथा रु० 279.00 करोड़, कुल रु० 626.94 करोड़ का एलोकेशन निर्गत किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर०के०वी०वाई०-सामान्य के अतिरिक्त केवल बी०जी०आर०ई०आई०, काप डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम तथा एडीशनल फांडर डवलपमेंट प्रोग्राम उपयोजना क्रियान्वित की जा रही है।

वर्ष 2015-16 में आर०के०वी०वाई०-सामान्य के अन्तर्गत विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि रु० 73.88 करोड़ उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष केन्द्र स्तर से रु० 71.59 करोड़ की धनराशि पुनर्वेध की गई है। उपलब्ध पुनर्वेध धनराशि का उपयोग शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के अनुमोदनानुसार किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध रु० 66.01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ कार्यदायी विभागों के पक्ष में जारी की जा चुकी हैं तथा रु० 17.17 करोड़ का व्यय कराया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र स्तर से रु० 347.94 करोड़ का मात्राकरण 50 : 50 के फंडिंग पैटर्न के अनुसार प्राप्त हुआ है, जिसे सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रु० 421.82 करोड़ की उपलब्धता सम्भावित है। एलोकेशन के सापेक्ष प्रथम किस्त की धनराशि रु० 86.99 करोड़ केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त कर दी गई है, जिसके विरुद्ध वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कराने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

वर्ष 2015-16 में बी०जी०आर०ई०आई०-उपयोजना के अन्तर्गत विगत वर्ष की अप्रयुक्त धनराशि रु० 29.46 करोड़ उपलब्ध है। केन्द्र स्तर से अप्रयुक्त धनराशि के सापेक्ष रु० 29.18 करोड़ की

JDA (Pulse)

Dr

18-11-2015

Const R.K.V.Y.

20-11-2015

Dr. N. G. Singh

उ० प्र० शासन  
विभागों को निम्नवाते 1

सलाहकार  
संयुक्त वि०यो०

